

प्रेषक,

मंजू सिंह

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति एवं)

संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय:- योगेन्द्र संजय यदुवंशी इन्टरनेशनल स्कूल हेवतपूर गौतमबुद्ध नगर नोएडा, पिन

कोर्ड- 201307 को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक 14-07-2010 द्वारा
गठित मण्डलीय समिति द्वारा उक्त सन्दर्भित विद्यालय का सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के
लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड
ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कॉसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टाफिकेट
इकायामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की
तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये
जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक
विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत
किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित पत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा—105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों के अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी
 10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2— विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्थ के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/ मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

M
(मंजू सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ०सं०—11859 / मं०सं० (88) / 2012 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नंकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव (शिक्षा—7 अनुमाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4. योगेन्द्र संजय यदुवंशी इन्टरनेशनल स्कूल हेवतपूर गौतमबुद्ध नगर नोएडा, पिन

कोड— 201307